

हरिसिंह उर्फ हरया बनाम राजू योगी  
अपील संख्या 68/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/227)

13.02.24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट का दौराने बहस कथन रहा है कि अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के मध्य परिवारिक सदस्यों तथा समाज के गणमान्य व्यक्तियों की मध्यस्थता एवं समझाईश से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है और प्रार्थीगण को इस तथ्य की जानकारी हो गयी है कि उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीगण का कोई हक एवं अधिकार नहीं है तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को किया गया उक्त आवंटन पूर्णतया विधि सम्मत है इसलिये प्रार्थीगण/अपीलान्टस न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन अपनी अपील में अब कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः अपील को बिना किसी शर्त एवं शरायत के निरस्त फरमायी जावें।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने भी दौराने बहस अपील विद्दो/निरस्त हेतु अपनी सहमति दी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने के कारण अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को आगे नहीं चलाना चाहते तथा इसी स्तर पर निरस्त कराना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील को विद्दो कर लिये जाने के कारण अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(असलम शेर खान)

अति.संभागीय आयुक्त,

जयपुर।